लोक राज संगठन का संविधान

(17 नवम्बर 2007, को नई दिल्ली में संपन्न, चौथा सर्व हिन्द अधिवेशन में पारित)

नाम तथा ध्वजः

1. संगठन का नाम लोक राज संगठन है।

2. ध्वज तथा चिन्हः

लोक राज संगठन का ध्वज लम्बाई व चौड़ाई में 3:2 अनुपात वाले आयताकार कपड़े में निर्मित तिरंगा है जिसमें केसरिया, हरा तथा लाल रंग शामिल हैं और इसके मध्य में संगठन का प्रतीक चिन्ह है। हिन्दोस्तानी लोगों द्वारा अपनी सत्ताहीनता की परिस्थिति को खत्म करने तथा आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक जीवन के मंचकेंद्र में अपने आप को लाने के दृढ़ निश्चय को यह ध्वज प्रतिबिंबित करता है।

ध्वज के रंग उनके व्यापक प्रतीकात्मकता के आधार पर चुने गये हैं। केसरिया रंग एक न्यायसंगत समाज बनाने की राह पर हिन्दोस्तानी शहीदों के दीप्तिमान त्याग व बलिदान का द्योतक है जो आज हमारी राह रोशन करता है। हरा रंग अपनी प्रचुर धरती तथा किसानों व खेतीहर मज़दूरों का द्योतक है जो इस पर मेहनत करके धन–सम्पत्ति पैदा करते हैं परन्तु फिर भी सत्ताहीन हैं। लाल रंग देश भर के मजदूरों के खून–पसीने का प्रतीक है तथा सभी मेहनतकश लोगों के अधिकारों तथा इंसाफ के लिये उनके संघर्ष का द्योतक है। ध्वज के मध्य में लोक राज संगठन का चिन्ह है, जिसमें उदीयमान सूरज की पार्श्वभूमि में मुट्ठियां उठाये लोग हैं जो लोगों के सत्तावान होने की आकांक्षा, मानव अधिकार और प्रगति की आकांक्षा, अतीत की विजयों तथा एक उज्ज्वल भविष्य की आशा को प्रतिबिंबित करता है।

सब साथ मिला कर, ध्वज अपने आप पर तथा उज्ज्वल भविष्य पर अपने विश्वास का, भारत की समृद्ध परंपराओं पर अपने गौरव का और अपनी भूमि व लोगों की मर्यादा के प्रति अपनी सलामी का द्योतक है।

लक्ष्य तथा उद्देश्यः

लोक राज संगठन हिन्दोस्तान में लोक राज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है, जहां सभी की सम्पन्नता तथा सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा जहांः

- जाति अथवा धर्म, प्रजाति अथवा लिंग, भाषाई अथवा जातीय विभेद या धन अथवा सामाजिक स्थिति में अन्तर से निरपेक्ष, हिन्दोस्तानी समाज के सदस्यों के मानवाधिकार, एक लागू किये जा सकने योग्य प्रक्रिया द्वारा, संवैधानिक रूप में सुनिश्चत हों,
- हिन्दोस्तानी समाज के सभी सदस्य, समाज के सुसंगत विकास हेतु एजेंडा तय करें,

- सभी लोगों की आजीविका तथा रोज़गार, समुचित पोषक तत्वों सहित भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने योग्य पानी तथा स्वच्छता, वस्त्र, आवास, प्राकृतिक संसाधन, सुरक्षित पर्यावरण के अनुलंघनीय अधिकार तथा अन्य आवश्यकतायें सुनिश्चित हों,
- महिलाओं के सामाजिक शोषण, जातीय शोषण, जनजातियों तथा हिन्दोस्तानी समाज के ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित अन्य वर्गों के शोषण का अन्त हो,
- धार्मिक, भाषाई तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो, तथा
- हिन्दोस्तान की सम्प्रभुता की रक्षा हो।

इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लोक राज संगठनः

- लोगों को अपने मानवीय, लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा हेतु संगठित करेगा और इन अधिकारों के लिए संवैधानिक सुरक्षा एवं लागू करने लायक तंत्रों को स्थापित करने हेतु संघर्ष करेगा,
- निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु एक फौरी समयबद्ध कार्यक्रम के लिये आंदोलन करेगा,
- निजी मुनाफाखोरों को हिन्दोस्तानी जनता की भूमि, प्राकृतिक संसाधनों तथा परिसम्पत्तियों की बिक्री का विरोध करेगा,
- राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने हेतु बल प्रयोग तथा राजनैतिक मुद्दों से निपटने के लिए सेना के प्रयोग का विरोध करेगा तथा क्रूर, दमनकारी कानूनों को रद्द करने के लिये संघर्ष करेगा,
- हिन्दोस्तान के सभी राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और जनजातियों के लोगों द्वारा अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करने के अधिकार हेतु, संवैधानिक सुनिश्चितता के लिए संघर्ष करेगा,
- "एक पर हमला सभी पर हमला है!" के नारे से मार्गदर्शित होकर, समाज के किसी भी तबके पर किसी भी रूप में होने वाले दमन का विरोध करेगा,
- धर्म, क्षेत्र, जाति, लिंग अथवा पार्टी–सम्बंध के आधार पर लोगों को विभाजित करने के किसी भी प्रयास का मुकाबला करेगा,
- अमरीका या किसी अन्य साम्राज्यवादी ताकत के साथ किसी भी प्रकार के रणनैतिक गठबंधन, पड़ोसी राष्ट्रों के विरूद्ध उग्र–राष्ट्रवाद तथा उन्माद, साम्राज्यवादी ताकतों के तलवे चाटने और दक्षिण एशिया में विदेशी सैन्य हस्तक्षेप का विरोध करेगा तथा दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने के लिये कार्य करेगा,
- लोगों को शिक्षित और संगठित करेगा तथा ऐसे तंत्र स्थापित करने के लिए मुहिम छेड़ेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों के चयन करने और

अनुपयुक्त तथा अयोग्य प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने, तथा विधान सभाओं और संसद में कानून बनाने में, राजनैतिक दलों के बजाय, जनता की भूमिका हो,

- मत एकत्र करने के लिये अपराध करने वाली पार्टियों को राजनैतिक प्रक्रिया से अलग करने के लिए कार्य करेगा,

- राजनीति में अपराधीकरण और सांम्प्रदायिकीकरण को समाप्त करने के लिए मुहिम छेड़ेगा,

- प्राचीन हिन्दोस्तानी शासन कला, हिन्दोस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को ध्यान में रखते हुये, राजनैतिक व्यवस्था और प्रक्रिया में राजनैतिक पार्टियों की भूमिका को नई परिभाषा देने की आवश्यकता को प्रचारित करेगा।

यह सुनिश्चत करने का प्रयास करेगा कि हिन्दोस्तान एक ऐसी विदेश नीति का अनुसरण करे जोः

- हिन्दोस्तान की सम्प्रभुता की रक्षा करे,

- बिना बाहरी किसी दबाव के, सभी राष्ट्रों द्वारा अपनी मनचाही आर्थिक और राजनैतिक दिशा तय करने के अधिकार की रक्षा करे, और

- मानवाधिकारों की रक्षा, विश्व शांति, विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक लाभ वाले आर्थिक सम्बंधों तथा सभी राष्ट्रों की सम्प्रभुता का, सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुसंगत तौर से समर्थन करे।

सदस्यता

18 वर्ष से अधिक उमर वाले, वे सभी हिन्दोस्तानी नागरिक तथा हिन्दोस्तानी मूल के लोग, लोक राज संगठन की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, जो आम जनता को सत्ता में लाने हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेना और योगदान करना चाहते हों, जो संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों से सहमत हों तथा जो 10 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क अदा करें।

सदस्यता वर्ष की अवधि 1 जनवरी से 31 दिसम्बर होगी।

सदस्यों के अधिकार तथा कर्तव्य

लोक राज संगठन इस असूल पर कार्य करता है कि अधिकार तथा कर्तव्य आपस में संबंधित हैं और सभी सदस्यों के अधिकार व कर्तव्य समान हैं।

प्रत्येक सदस्य को संगठन की किसी भी संघटक इकाई जिसका वह सदस्य है, उसके लिए होने वाले चुनाव में मतदान करने का अधिकार होगा तथा संगठन के किसी भी पद के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार होगा यदि वह इस संविधान द्वारा

बनाये गये किसी नियम द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो।

सभी सदस्यों:

- मानवाधिकारों की हिमायत करें,
- संगठन के संविधान तथा कार्यक्रम की रक्षा करें,
- संगठन के कार्यों में सक्रियता से भाग लें,
- समाज के दरकिनार किये गये वर्गों के हितों की रक्षा करें,
- उन सभी सभाओं, समितियों तथा परिषदों में होने वाली चर्चाओं में खुल कर हिस्सा लें जिनके लिए उन्हें निर्वाचित किया गया हो, तथा
- संगठन में नये सदस्यों की भर्ती करें।

संगठनात्मक ढांचा

लोक राज संगठन का सर्व हिन्द अधिवेशन इस संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यह सभी मुख्य नीतियों तथा कार्यक्रमों पर चर्चा करता है और निर्णय लेता है तथा इन निर्णयों के कार्यान्वन के लिए सर्व हिन्द परिषद का चुनाव करता है।

दो अधिवेशनों के बीच, सर्व हिन्द परिषद, निर्णय लेने वाला, संगठन का सर्वोच्च निकाय है।

क्षेत्रीय स्तर पर, लोक राज संगठन का क्षेत्रीय अधिवेशन, निर्णय लेने वाले संगठनों का सर्वोच्च निकाय है। क्षेत्रीय स्तर पर निर्णयों के कार्यन्वन के लिए यह क्षेत्रीय परिषद का चुनाव करता है। दो क्षेत्रीय अधिवेशनों के बीच, क्षेत्रीय परिषद उस क्षेत्र में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।

लोक राज सभाओं की स्थापना देश के ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में, लोगों के बीच, उनके निवास अथवा कार्य स्थानों में की जाती है। किसी भी विशिष्ट आवासीय कालोनी अथवा कार्य क्षेत्र में गठित लोक राज सभा में उस स्थान में रहने वाले लोक राज संगठन के सभी सदस्य शामिल होते हैं। लोक राज समितियों का चुनाव उस स्थान की लोक राज सभा द्वारा किया जाता है।

लोक राज सभायें बुनियादी स्तर पर निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय हैं। सभा की दो बैठकों के बीच, लोक राज समिति, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।

संगठन की कार्य प्रणाली

लोक राज संगठन के सभी संगठन लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य करते हैं। प्रत्येक स्तर पर

निर्णय उस स्तर के समूह में सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं तथा अलग–अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से लिए जाते हैं।

लोक राज संगठन के संगठनों की बैठकों के दौरान, पदाधिकारियों को, पदाधिकारी होने के नाते, कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

लोक राज संगठन के सभी निकायों – सर्व हिन्द परिषद, क्षेत्रीय परिषदों तथा लोक राज समितियों को, अपने कार्य क्षेत्र के लोगों को सत्ता में लाने हेतु, अपनी कार्यदिशा निश्चित करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है।

लोक राज समितियों की कार्यदिशा में क्षेत्रीय परिषदों अथवा सर्व हिन्द परिषद द्वारा लिए गये निर्णयों का उल्लंघन नहीं होना चाहिये। क्षेत्रीय परिषदों की कार्यदिशा में सर्व हिन्द परिषद द्वारा लिए गये निर्णयों का उल्लघंन नहीं होना चाहिये। यदि इस प्रकार के उल्लंघन होते हैं तो उच्चतर निकाय, ऐसे निर्णय लेने वाले निकाय से, इसका कारण पूछ सकता है तथा ऐसे निर्णय को खारिज करने का आदेश दे सकता है। इस प्रकार के उल्लंघन में उच्चतर निकाय का निर्णय अंतिम होगा।

मुख्य निकायों के चुनाव

लोक राज संगठन के सर्व हिन्द अधिवेशन का आयोजन प्रत्येक दो वर्षों में होगा। सर्व हिन्द अधिवेशन के आयोजन का निर्णय सर्व हिन्द परिषद द्वारा लिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में सम्मेलन का आयोजन दो वर्ष के पहले या बाद में भी किया जा सकता है। अगर लोक राज संगठन के एक–तिहाई से ज्यादा सदस्य सम्मेलन बुलाने का आग्रह करते हैं तब सर्व हिन्द परिषद सर्व हिन्द अधिवेशन बुलायेगी।

सर्व हिन्द अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को लोक राज संगठन की सभाओं द्वारा चुना जाता है। इसके लिये लोक राज संगठन के किसी भी सदस्य को, अपनी सदस्यता के इलाके की लोक राज सभा की प्रतिनिधियों की सूची में अपना नामांकन करने का अधिकार है बशर्ते उसके प्रतिनिधित्व को, सर्व हिन्द परिषद द्वारा निर्धारित, सभा के एक न्यूनतम मतदाताओं की संख्या का समर्थन प्राप्त है।

लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के असूल के अनुसार, सर्व हिन्द परिषद, अधिवेशन में प्रतिनिधित्वता के नियम व प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय करती है। इन नियमों को निर्धारित करते समय परिषद को अलग–अलग क्षेत्रों में संगठन को विकसित करने की जरूरत को और हिन्दोस्तान के एक बहुराष्ट्रीय देश होने की हकीकत को ध्यान में रखना होता है।

लोक राज संगठन के क्षेत्रीय अधिवेशन का आयोजन प्रत्येक दो वर्षों में होगा। क्षेत्रीय अधिवेशन के आयोजन का निर्णय क्षेत्रीय परिषद द्वारा लिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में सम्मेलन का आयोजन दो वर्ष के पहले या बाद में भी किया जा सकता है। अगर लोक राज संगठन के एक क्षेत्र के एक–तिहाई से ज्यादा सदस्य अधिवेशन बुलाने का आग्रह करते हैं तब क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रीय अधिवेशन बुलायेगी।

क्षेत्रीय अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को लोक राज संगठन की उस क्षेत्र की सभाओं द्वारा चुना जाता है। इसके लिये लोक राज संगठन के उस क्षेत्र के किसी भी सदस्य को, अपनी सदस्यता के इलाके की सभा के प्रतिनिधियों की सूची में अपना नामांकन करने का अधिकार है बशर्ते उसकी उम्मीदवारी को, क्षेत्रीय परिषद द्वारा निर्धारित, सभा के एक न्यूनतम मतदाताओं की संख्या का समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के असूल के अनुसार, सर्व हिन्द परिषद की सलाह से क्षेत्रीय परिषद, अधिवेशन में प्रतिनिधित्वता के नियम व प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय करती है।

लोक राज समिति का चुनाव, रहिवासी इलाकों व कार्य के इलाकों की सभाओं के सदस्य करते हैं। ये समितियां प्रत्येक वर्ष चुनी जाती हैं। अगर सभा के एक तिहाई सदस्य ऐसा आग्रह करते हैं तो समिति तुरंत सभा की बैठक बुलायेगी।

निर्वाचित निकायों की बैठकों का नियमितता

सर्व हिन्द परिषद की बैठक कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी। बैठक की सूचना और कार्य सूची सर्व हिन्द परिषद के सदस्यों को दो सप्ताह पूर्व ही भेज दी जायेगी।

क्षेत्रीय परिषदों की बैठक कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी। बैठक की सूचना और कार्य सूची क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों को दो सप्ताह पूर्व ही भेज दी जायेगी।

लोक राज समितियां कार्य की आवश्यकता के अनुसार माह में एक बार या इससे ज्यादा बैठकें करेंगी।

सर्व हिन्द परिषद की कार्य प्रणाली

सर्व हिन्द परिषद अपना कार्य लोकतांत्रिक तथा सामूहिक ढंग से करती है और अपने सदस्यों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक जिम्मेदारियां सौंपती है। यह उन परिषदों का गठन करती है जिन पर सर्व हिन्द स्तर पर विभिन्न समूहों में काम को विकसित करने की जिम्मेदारी होती है। इन समूहों में मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, खेत मजदूर, महिलायें, युवा, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा कोई भी ऐसा समूह जिसे विशेष ध्यान देने की अवश्यकता है, शामिल हैं। यह विशेष समूहों का गठन भी करेगी जो विभिन्न क्षेत्रों में काम को विकसित करेंगे। यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रक्रिया, राष्ट्रीय प्रश्न तथा कोई भी अन्य क्षेत्र, जहां लोक राज संगठन के कार्य बढ़ाने हेतु नीति विस्तृत करने की अवश्यकता है, के लिए नीति निर्धारक परिषदों का गठन करेगी।

सर्व हिन्द परिषद की बैठकों के बीच, संगठन के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु सर्व हिन्द परिषद, सचिव दल, जिसमें सचिव (संयोजक) शामिल है, का चुनाव करेगी।

संगठन की सार्वजनिक छवि को सुदृढ़ करने के लिये सर्व हिन्द परिषद एक अध्यक्ष तथा एक या अनेक उपाध्यक्षों को निर्वाचित करेगी।

क्षेत्रीय परिषदों की कार्य प्रणाली

क्षेत्रीय परिषदें अपना कार्य लोकतांत्रिक तथा सामूहिक ढंग से करती हैं और अपने सदस्यों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक जिम्मेदारियां सौंपती हैं। ये क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में काम को विकसित करने के लिये परिषदों का गठन करेगी।

क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के बीच, संगठन के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु क्षेत्रीय परिषद सचिव दल, जिसमें सचिव (संयोजक) शामिल है, को निर्वाचित करेगी।

लोक राज समितियों के पदाधिकारी

लोक राज समितियां एक सचिव (संयोजक) को निर्वाचित करेंगी जो बैठकों का संचालन करेगा। यह एक कोषाध्यक्ष को भी निर्वाचित करेगी जो समिति के वित्त प्रबंधन का प्रभारी होगा।

अनुशासनीय कार्यवाहियां

संगठन का कोई भी सदस्य यदि संगठन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करता है तो वह उस सभा, समिति अथवा परिषद जिसका वह सदस्य है, द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाही का भोगी होगा।

मामले की गंभीरता के अनुसार, अनुशासनात्मक कदम, चेतावनी अथवा सदस्यता से निलंबन, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, से लेकर संगठन से निष्कासन तक हो सकते हैं।

लोक राज संगठन की किसी भी निर्वाचित इकाई समिति क्षेत्रीय परिषद अथवा सर्व हिन्द परिषद – का कोई भी सदस्य केवल उस संस्था, जिसका वह सदस्य है, के बहुमत द्वारा ही संगठन से निष्कासित किया जा सकता है।

जिस सदस्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है, उसे उस सभा अथवा समिति अथवा परिषद की बैठक में उपस्थित रहने तथा अपना बचाव करने का अधिकार है, जहां इस विषय पर चर्चा हो रही हो।

कोई भी सदस्य जो अनुशासनात्मक कार्यवाही को न्यायोचित नहीं समझता उसे अपनी शिकायत की सुनवाई के लिए संगठन की अगली उच्चतर निर्वाचित निकाय में अपील करने का अधिकार प्राप्त है। वह अपने मामले को सर्व हिन्द परिषद तक ले जा सकता है। सर्व हिन्द परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

यदि लोक राज संगठन की कोई समिति निरंतर संगठन के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा संविधान का उल्लंघन करती हुई और लोक राज संगठन की छवि खराब करती हुई पाई जाती है तो संगठन के उच्चतर निकायों को उक्त समिति को विघटित करने, उस क्षेत्र की सभा के सदस्यों का नये सिरे से नामांकन करने तथा समिति का पुनर्गठन करने का अधिकार प्राप्त है।

लोक राज संगठन की वित्तीय व्यवस्था

लोक राज संगठन की आय के संसाधनों में सदस्यता शुल्क, संगठन के विभिन्न उद्यमों से प्राप्त होने वाली आय, जन आंदोलनों से प्राप्त योगदान तथा इसके सदस्यों तथा आम जनता से दान में मिलने वाली धनराशि सम्मिलित है।

सर्व हिन्द परिषद संगठन की वित्तीय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। सर्व हिन्द परिषद वार्षिक बजट तैयार करेगी और तदनुसार धन आवंटित करेगी तथा एक या अनेक कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगी, जो संगठन की वित्तीय व्यवस्था का लेखा जोखा रखेंगे। सर्व हिन्द परिषद सचिव दल द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखा विवरण को पारित करेगी।

सर्व हिन्द परिषद के वित्तीय लेखे जोखों की एक अंदरूनी लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा की जायेगी।

सदस्यता शुल्क का व्ययन सर्व हिन्द परिषद द्वारा किया जायेगा। संगठन की विभिन्न गतिविधियों के लिए एकत्रित चंदा या अन्य विशेष धनराशि के वितरण के अनुपात का निर्णय सर्व हिन्द परिषद द्वारा किया जायेगा।

क्षेत्रीय परिषदें अपने वित्तीय विवरण तथा बजट प्रत्येक तीन माह में सर्व हिन्द परिषद के सचिव दल को प्रस्तुत करेंगी।

संविधान में संशोधन

लोक राज संगठन के संविधान में कोई भी संशोधन केवल सर्व हिन्द अधिवेशन द्वारा ही किया जायेगा। संशोधन प्रस्तावों की सूचना अधिवेशन से एक माह पूर्व दी जायेगी।